न्यायालय जिला न्यायाधीश, सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः देवेन्द्र दीक्षित

दीवानी वाद (CIS) सं. 53/2022

पाना देवी पुत्री कल्याण पत्नी रामप्रसाद उम्र 60 वर्ष निवासी गुड़ला चन्दन तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर जरिये मुख्त्यारआम सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रसाद उम्र 26 वर्ष निवासी गुड़ला चन्दन तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर।

–वादी

बनाम

1. प्रेमराज पुत्र रामनारायण उम्र 47 साल निवासी मांगरोल तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर।

2. प्रेमदेवी पुत्री कल्याण पत्नी कंवरलाल उम्र 65 वर्ष निवासी गुड़ला चन्दन तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर।

3. रामखिलाड़ी पुत्र हनुमान उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम बिलोपा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।

4. तहसीलदार, लेण्ड होल्डर, तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर।

5. उप पंजीयक, पंजीयन कार्यालय बौंली जिला सवाईमाधोपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, निरस्त करने गोद पत्र व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः

1. श्री भोलाशंकर शर्मा, श्रीमती जूली खण्डेलवाल,
   श्री तनय शंकर शर्मा, विद्वान अधिवक्तागण वादी की ओर
2. श्री रामजीलाल जाट, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. श्री जितेन्द्र शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, प्रतिवादी सं.4 व 5 की ओर से।
4. प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः 10–04–2026

1. वादी की ओर से घोषणा, निरस्त करने गोद पत्र एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष बाबत यह वाद प्रतिवादीगण प्रेमराज व अन्य के विरूद्ध दि. 02.08.2022 को इन तथ्यों के साथ पेश किया कि वादिया बुजुर्ग महिला है, चलने, फिरने में असमर्थ है। उसके साथ उसका पुत्र सुरेन्द्र रहता है जिसे विवादित आराजीयात की सम्पूर्ण जानकारी है, जिसे वादिया ने अपना मुख्त्यार नियुक्त कर रखा है। प्रतिवादिया संख्या 2 वादिया की सगी बहिन व प्रतिवादी

संख्या 3 वादिया की बहिन सीता जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसका पुत्र है। वादिया ने वाद पत्र के मद संख्या 3 में सजरा खानदान अंकित करते हुए यह भी अभिवचन किये हैं कि चेता के चार पुत्र क्रमशः ग्यारसा, लाला, भोला व फुदा थे जिनमें फुदा लाऔलाद फौत हो गया एवं भोला के दो पुत्र कल्याण व हरिनारायण हुए जिनमें से कल्याण जो कि वादिया का पिता था को ग्यारसा ने गोद ले लिया एवं हरिनारायण अविवाहित फौत हो गया। इस प्रकार चेता के वंश में कल्याण के वादिया व उसकी बहिन प्रेम व सीता उत्पन्न हुए एवं कल्याण की मृत्यु के पश्चात सहवन से कल्याण के कब्जे, काश्त व खातेदारी की आराजीयात माँ सुन्दर बेवा कल्याण के नाम दर्ज हो गई जबकि उक्त आराजी का नामान्तकरण वादिया व उसकी बहिन प्रतिवादिया संख्या 2 व सीता के नाम भी खुलना चाहिए था एवं कल्याण की आराजीयात में तीनों बहिनों का 1/4-1/4 हिस्सा था।

2. वादी ने वाद पत्र के मद संख्या 5 में कल्याण द्वारा विरासत में छोड़ी गई आराजियात का विस्तृत विवरण अंकित किया है। वादिया की माँ सुन्दर अनपढ़, पर्दानशीन महिला थी जो कानों से कम सुनती थी और ऑखों से लगभग अंधी थी, इसका फायदा उठाकर वादिया व उसकी बहिनों की अदम मौजूदगी में हरिनारायण ने उनकी माँ के नाम खुले नामान्तकरण की अपील मिथ्या तथ्यों एवं कल्याण को लाऔलाद बताते हुए पेश कर दी एवं गलत रूप से ग्यारसा, लाला व फून्दा को शामिल में रहना बताते हुए वादग्रस्त भूमि पर सिर्फ अपना कब्जा बताते हुए अपने सिर पगड़ी बांधना बताकर दिनांक 10.10.2001 का एक इकरारनामा बताकर पेश की और उक्त अपील फर्जी राजीनामा पेश कर स्वीकार करवा ली एवं उपरोक्त समस्त आराजीयात को हरिनारायण के सेपरेट खाते में दर्ज आराजीयात को छोड़कर बाकी खातों में दर्ज आराजीयात को 1/2-1/2 दर्ज करवाने का आदेश करवा लिया जिसकी जानकारी वादिया, उसकी बहिनें व माँ को नहीं थी, जबकि उप जिला कलेक्टर, बौंली को इकरारनामे के आधार पर खातेदारी बदलने का कोई अधिकार नहीं था। इकरारनामा से किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उक्त राजीनामा पर उनकी माँ के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी भी नहीं हैं। उक्त तथ्य की जानकारी होने पर वादिया ने दिनांक 09.12.2021 को एक दावा उप जिला कलेक्टर, बौंली के न्यायालय में पेश किया जो लम्बित है उक्त वाद में प्रेमराज ने स्वयं को हरिनारायण का दत्तक पुत्र बताते हुए जवाब दावा पेश करने पर वादिया को जानकारी हुई कि प्रेमराज गलत रूप से फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपने आपको हरिनारायण का दत्तक पुत्र बताने पर आमादा है और इसी आधार पर उसके पिता द्वारा छोड़ी गई आराजीयात को हड़पने पर आमादा है। उक्त न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 ने फर्जी गोदपत्र दिनांकित 11.10.2000 पेश किया है जिस पर हरिनारायण के हस्ताक्षर भी फर्जी हैं। इस गोदनामें में गोद लेने का कोई वर्ष, साल, संवत दर्ज नहीं किया है। दिनांक 11.10.2000 को प्रेमराज की उम्र 15 वर्ष हो जाती है जो दत्तक पुत्र के

रूप में दत्तक जा ही नहीं सकता और ना ही उक्त दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाया गया है। वादिया ने गोद पत्र पर हरिनारायण के हस्ताक्षरों की जांच करवायी तो हस्ताक्षर फर्जी होना पाये गये। विवादित आराजीयात में वादिया, प्रतिवादिया संख्या 2 व 3 का 1/3-1/3 हिस्सा है और उसी अनुरूप उस पर उनका कब्जा काश्त है। इसलिए वादिया उक्त गोदनामा को निरस्त करवाने की अधिकारी है।

3. वादी ने वादपत्र में आगे प्रकट किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 कभी भी हरिनारायण के पास नहीं रहा, न ही प्रतिवादी संख्या 1 की वल्दियत कभी हरिनारायण दर्ज रही। हरिनारायण जब तक जीवित रहा, कल्याण के पास रहा एवं कल्याण व हरिनारायण की सेवा–सुश्रुषा वादिया व उसकी बहिनों ने की। प्रतिवादी संख्या 1 की वल्दियत आज भी रामनारायण दर्ज है जिससे यह साबित होता है कि वह कभी भी हरिनारायण के गोद नहीं गया। हरिनारायण ने कभी भी किसी के पक्ष में कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया। वादिया उप जिला कलेक्टर, बौंली के आदेश दिनांक 21.11.2002 को निरस्त कराकर इस आधार पर रेवेन्यू रिकार्ड में हरिनारायण द्वारा फर्जीयत रचकर कराये गये इन्द्राज को दुरूस्त करवाने की अधिकारी है। अंत में वादी ने वाद न्यायालय के श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार का व अंदर मियाद होना तथा उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत किया जाना बताते हुए निवेदन किया किः–

(क) इस आशय की घोषणा की जाए कि प्रतिवादी संख्या 1 हरिनारायण का दत्तक पुत्र नहीं है एवं वादिया गोदनामा दिनांक 11.10.2000 निरस्त कराने की अधिकारी है।

(ख) इस आशय की घोषणा की जाए कि वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 दावे के मद संख्या 5 में वर्णित आराजीयात बाबत मृतक कल्याण व हरिनारायण की एक मात्र उत्तराधिकारी है एवं उप जिला कलेक्टर, बौंली का आदेश दिनांक 21.11.2002 निरस्त फरमाया जाए एवं प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कर खर्च मुकदमा दिलाया जाए।

4. प्रतिवादी सं.1 व 2 की ओर से वादोत्तर प्रस्तुत कर वाद पत्र में वर्णित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को अस्वीकार किये हैं और प्रकट किया है कि वादिया स्वस्थ महिला है एवं उसन वाद पत्र के मद संख्या 3 में सजरा खानदान अधूराग्रहण पेश करना बताते हुए सही सजरा खानदान जवाब दावे के मद संख्या 3 में वर्णित करते हुए यह भी प्रकट किया है कि पक्षकारान मीणा जाति के हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है और मीणा जाति में महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होता है। चेता के चार पुत्र क्रमशः ग्यारस्या, लाल्या, भोला व फूंदा हुए जिनमें ग्यारस्या अविवाहित

था बड़ा होने से चेता की विरासत का नामान्तरण ग्यारस्या के नाम खुला। लाल्या व फूंदा लाऔलाद फौत हो गये एवं भोला के दो पुत्र कल्याण व हरिनारायण एवं पुत्री रतनी पैरा हुई। ग्यारस्या अविवाहित होने से उसने कल्याण को गोद ले लिया और समस्त भूमि का नामान्तरण कल्याण के नाम खोल दिया गया जबकि उक्त समस्त भूमि में हरिनारायण का 1/2 हिस्सा था क्योंकि भूमि पूर्वजों के समय की थी।

5. जवाब दावे में आगे यह भी प्रकट किया कि मृतक कल्याण की जीवनकाल में हरिनारायण ने चचेरे भाई रामनारायण के नाबालिग छोटे पुत्र प्रेमराज/प्रतिवादी संख्या 1 को गोद ले लिया किन्तु उस वक्त हरिनारायण के नाम राजस्व रिकार्ड में कोई भूमि नहीं होने से गोदनामा नहीं लिखवा सका एवं प्रेमराज के प्राकृतिक पिता का देहावसान उसके गोद लेने से पूर्व ही हो चुका था इसलिए उनकी विरासत का नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भी खुल गया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 दत्तक पिता हरिनारायण कल्याण के जीवन काल से ही उनकी आराजीयात में काश्त कमाई करता आ रहा था एवंग्रहण प्राकृतिक पिता की भूमि बड़े भाई चिरंजी के कब्जे में चली आ रही थी एवं दिनांक 10.11.1996 को वादिया के पिता कल्याण की मृत्यु हो गई, जिनके समस्त क्रियाक्रम प्रतिवादी सं.1 द्वारा किये गये। मृतक कल्याण की विरासत का नामान्तरण सुन्दर बेवा कल्याण के नाम खुल गया तब प्रतिवादी सं.1 के दत्तक पिता हरिनारायण द्वारा उक्त नामान्तरण की अपील पेश उप जिला कलेक्टर, बौंली के यहां पेश की जिसके लम्बित रहने के दौरान दिनांक 10.10.2000 को सुन्दर बेवा कल्याण ने इकरारनामा रूबरू गवाहान तहरीर व तकमील करवाया एवं उक्त इकरारनामा के आधार पर उप जिला कलेक्टर, बौंली ने दिनांक 21.11.2002 को निर्णय पारित कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए सुन्दर देवी के नामान्तरण को खारिज कर मृतक कल्याण की भूमि का 1/2 हिस्सा का नामान्तरण सुन्दर व 1/2 हिस्सा का नामान्तरण हरिनारायण पुत्र भोला के नाम करने के आदेश दिये तब जाकर हरिनारायण पुत्र भोला के नाम 1/2 हिस्सा की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा सड़क के लिए मृतक कल्याण की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 70 रकबा 3 बिस्वा अवाप्ति की कार्यवाही की जिसमें भी सुन्दर देवी ने मृतक पति की समस्त भूमि पर हरिनारायण का ही अधिकार होना बताया जिससे वादिया नाराज हो गयी और 15 सालों तक वह माँ सुन्दर देवी से मिलने नहीं आयी। दिनांक 10.10.2000 को स्वयं हरिनारायण द्वारा एक स्टाम्प शपथ पत्र खरीद कर दिनांक 11.10.2000 को प्रतिवादी सं.1 के पक्ष में गोदनामा रूबरू गवाहान तहरीर व तकमील करवाया गया एवं कल्याण की मृत्यु उपरान्त उनकी आराजीयात को भी प्रतिवादी संख्या 1 व हरिनारायण ही काश्त कमाई करते आ रहे हैं। प्रतिवादी सं.1 के दत्तक पिता हरिनारायण का भी देहावसान हो गया जिनके समस्त क्रियाक्रम प्रतिवादी संख्या 1 ने ही किये। वादिया व

प्रतिवादी संख्या 2, 3 की सहमति से मृतक कल्याण व हरिनारायण की छोड़ी भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 काश्त कमाई करके अपना व मृतक कल्याण की पुत्रियों के भात, जामणे आदि कार्यक्रम करता आ रहा है किन्तु वादिया ने रूपये ऐंठने की गरज से यह दावा पेश किया है

6. विशेष विवरण में भी उक्त तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह भी प्रकट किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 को उसकी प्राकृतिक माता सोनी देवी से गोद देने की सहमति प्राप्त कर दत्तक पिता हरिनारायण ने प्रतिवादी संख्या 1 को गोद पुत्र के रूप में स्वीकार किया था तब से प्रतिवादी संख्या 1 दत्तक पिता हरिनारायण के पास रहता चला आ रहा है एवं प्राकृतिक माता पिता की समस्त चल अचल सम्पत्ति पर प्रतिवादी संख्या 1 के बड़े भाई चिरंजी लाल का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व उसके दत्तक पिता हरिनारायण का मृतक कल्याण के जीवनकाल से उनकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात पर कब्जा एवं अधिकार चला आ रहा है एवं कल्याण के भी कोई औलाद नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 ही विगत 35 वर्षों से काश्त कमाई करता आ रहा हैएवं वादिया करीब 40–45 वर्षों से ससुराल में निवास कर रही है। इस प्रकार वादिया का मृतक माता–पिता की आराजीयात पर कोई कब्जा व अधिकार नहीं रहा है। वादिया, उसकी बहिन प्रेम, सीता की मौजूदगी से ही उनकी माता सुन्दर की सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 मृतक कल्याण एवं दत्तक पिता हरिनारायण की खातेदारी की भूमियों पर कक्षा 6 में पढ़ता था तब से काबिज होकर निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक काश्त कमाई करता आ रहा है। गलत तथ्यों के आधार पर यह वाद पेश किया है। अतः वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज करने का निवेदन किया है।

7. प्रतिवादी सं.4 व 5 की ओर से वादोत्तर प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का आपसी विवाद है। इस प्रकरण में वे औपचारिक पक्षकार हैं। दावा दायरी से पूर्व धारा–80 सिविल प्रक्रिया संहिता का नोटिस नहीं दिया गया है। अतः वादी का वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध प्रकरण में दिनांक 19.10.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।

8. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 21.01.2023 को न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किये गयेः-

(1) आया प्रतिवादी संख्या 1 स्व. हरिनारायण का दत्तक पुत्र नहीं होने के कारण वादिनी गोदनामा दिनांक 11.10.2000 को निरस्त घोषित कराने की अधिकारिणी है ?

(2) आया वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वाद पत्र के मद संख्या 5 में दर्ज आराजियात के सम्बन्ध में स्वयं को मृतक कल्याण एवं हरिनारायण के एक मात्र उत्तराधिकारी घोषित कराने के अधिकारी है ?

(3) आया वादिनी तथाकथित गोदनामा दिनांक 11.10.2000 को व्यर्थ एवं शून्य होने के कारण निरस्त कराने की अधिकारिणी है ?

(4) आया वादिनी वाद में वांछित स्थायी निषेधाज्ञा अपने पक्ष में प्राप्त करने की अधिकारिणी है ?

(5) आया वादिनी उप जिला कलेक्टर, बौंली के आदेश दिनांक 21.11.2002 को निरस्त कराने की अधिकारी है ?

(6) आया दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा- 80 सिविल प्रक्रिया संहिता का नोटिस नहीं दिये जाने के कारण दावा चलने योग्य नहीं है ?

(7) अनुतोष ?

9. मौखिक साक्ष्य में वादी पी.ड.1 सुरेन्द्र, पी.डब्ल्यू.2 पाना देवी, पी.डब्ल्यू.3 जगराम, पी.डब्ल्यू.4 बंशीलाल के कथन लेखबद्ध करवाये एवं प्रलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित प्रालेख प्रदर्शित करवाये गये हैंः-

प्रदर्श क्रमांक	**दस्तावेज**
प्रदर्श 1 से 7	नकल जमाबंदी
प्रदर्श 8	नकल मतदाता सूची
प्रदर्श 9 व 10	राशन कार्ड
प्रदर्श 11	गोदनामा की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श 12	हरिनारायण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम
प्रदर्श 13	शपथ पत्र हरिनारायण की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श 14	वकालतनामा की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श 15	परिवार राशन कार्ड हरिनारायण की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श 16	हरिनारायण द्वारा प्रस्तुत अपील की प्रति
प्रदर्श 17	राजीनामा की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श 18	निर्णय दिनांक 21.11.2002 की प्रमाणित प्रति

प्रदर्श 19	राशन कार्ड सुन्दर
प्रदर्श 20	नकल जमाबंदी
प्रदर्श 20	फोरेन्सिक कंसलटेंट की रिपोर्ट
प्रदर्श 21	उप जिला क्लेक्टर बौंली की पत्रावली की आदेशिका प्रतिग्रहण
प्रदर्श 22	उपजिला क्लेक्टर के यहां प्रस्तुत दावे की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श 23	शपथ पत्र पाना देवी की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श 24	जवाब दावा प्रेमराज की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श 25	जवाब उल जवाब पाना देवी की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श 26	तनकीयात की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श 27	मुखतयारनामा आम पाना देवी बहक सुरेन्द्र
प्रदर्श 28	मृत्यु प्रमाण पत्र सुन्दर देवी
प्रदर्श 29	लिखत पंचनामा
प्रदर्श 30	अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श 30	आदेशिका दिनांक 15.07.2024 की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श 30	आदेशिका दिनांक 15.07.2024 की प्रमाणित प्रति

नोटः- प्रादर्शों के क्रम में प्रदर्श 20 त्रुटिवश दो प्रालेख क्रमशः नकल जमाबंदी व फॉरेन्सिक कंसलटेंट रिपोर्ट पर अंकित किये गए एवं प्रदर्श 30 क्रमशः तीन प्रालेख क्रमशः अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट, आदेशिका दिनांक 15.07.2024 व 15.07.2024 (जो दोनों आदेशिकाएं समरूप है।)

10. प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी.ड.1 प्रेम, डी.ड. 2 भरतलाल, डी.ड. 3 रामेश्वर, डी.ड. 4 प्रेमराज के बयान लेखबद्ध करवाए गए है व दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न प्रालेख प्रदर्शित करवाए गए हैं।

प्रदर्श क्रमांक	**दस्तावेज**
प्रदर्श ए 1	इकरारनामा सुन्दर बहक हरिनारायण की प्रति
प्रदर्श ए 2	गोदनामा हरिनारायण बहक सोनी की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श ए 3	भूमि अवाप्ति कार्यवाही पत्रक
प्रदर्श ए 5	आदेशिका की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श ए 6	अपील की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श ए 7	वकालतनामा की प्रमाणित प्रति

प्रदर्श ए 8	प्रार्थना पत्र हरिनारायण की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श ए 9	उपजिला कलेक्टर बौंली के आदेश दि. 06.04.2022 की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श ए 9	शपथ पत्र हरिनारायण
प्रदर्श ए 10	वाद पत्र की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श ए 11	शपथ पत्र पाना देवी की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श ए 12	शपथ पत्र जगराम की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श ए 13	शपथ पत्र रामप्रसाद की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श ए 14	शपथ पत्र बंशी की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श ए 15	शपथ पत्र सुरेन्द्र की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श ए 16	अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श ए 17	प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श ए 18	फर्द मौका रिपोर्ट
प्रदर्श ए 19	सजरा खानदान मन्शो
प्रदर्श ए 20	सजरा खानदान मन्शो

नोटः- प्रादर्शों के क्रम में प्रदर्श ए.4 किसी भी प्रादर्श पर अंकित नहीं किया गया है एवं त्रुटिवश प्रदर्श ए.9 दो प्रालेख क्रमशः उप जिला कलेक्टर के आदेश की प्रमाणित प्रति व शपथ पत्र हरिनारायण पर अंकित किये गये हैं।

11. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

12. विद्वान अधिवक्ता वादी का तर्क है कि पत्रावली पर आई साक्ष्य वादी से दावा वादी पूर्णतया साबित है। साक्ष्य वादी में प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें विशेषज्ञ की राय भी सम्मिलित है, के अनुसार गोदनामा दिनांक 11.10.2000 पर हरिनारायण के हस्ताक्षर फर्जी हैं जिसका कोई खण्डन प्रतिवादी पक्ष की ओर से नहीं किया गया है बल्कि स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 व उसके गवाहान के सशपथ कथनों में इस संबंध में विरोधाभास है कि वस्तुतः प्रेमराज को कब गोद लिया गया। उनका तर्क है कि गोदनामा दिनांक 11.10.2000 कूटरचित होने के कारण निरस्त किया जाए और कल्याण व हरिनारायण के एकमात्र उत्तराधिकारी वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को घोषित किया जावे। उनका तर्क है कि जिस राजीनामा प्रदर्श 17 के आधार पर राजस्व न्यायालय का आदेश दिनांक 21.11.2002 पारित किया गया है, वह भी विधिपूर्ण नहीं है क्योंकि राजीनामा प्रदर्श 17 पर कहीं भी सुन्दर के हस्ताक्षर नहीं है बल्कि यह जरिये वकील पेश किया गया है और बाद में तो

सुन्दर के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही भी कर दी थी। उनका यह भी तर्क है कि यह दावा गोदनामा को आधार बनाकर प्रस्तुत किया गया है जो दिनांक 22.02.2022 को वादी की जानकारी में आया। अतः दावा वादी पूर्णतया अंदर मियाद है। उनका यह भी तर्क है कि प्रतिवादी पक्ष द्वारा यह साक्ष्य प्रस्तुत करने से कि प्रेमराज के पगड़ी बंधी थी व प्रेमराज गंगाजी गया था, यह नहीं माना जा सकता कि वह हरिनारायण का गोदपुत्र था। इसके लिए गोद लेने की रस्म को साबित करना होगा परंतु प्रेमराज कभी भी हरिनारायण द्वारा गोद लिया गया हो ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है एवं प्रेमराज से संबंधित सभी दस्तावेजात पर पिता के रूप में उसके जैविक पिता रामनारायण का ही नाम है। अंत में उन्होंने दावा वादी डिक्री किया जाने का निवेदन करते हुए अपने पक्ष के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन किया–

(1) 2022 Live Law (SC) 638
Mrs. Akella Lalitha Vs Sri Konda Hanumantha Rao & Anr.
(2) 2026(2) CJ (Civ.) (Raj.) 870
Vidhyadhar Sunda Vs State & Ors.
(3) RBJ (5) 1998 456
Biram LRs, Prema Vs Gangaram
(4) (1971) AIR (SC) 681
Dayaram & Ors. Vs Dawalatshah and Ant.
(5) (1996) AIR (SC) 1864
Madhu Kishwar & Anr. Vs State of Bihar & Anr.
(6) (2017) 1 WLN 358
Bajrang Lal Vs Nandu Bai
(7) RRD 2014 213
Kalyan & Anr. Vs Nanga & Anr.

13. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित विद्वान श्री रामजीलाल जाट ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रेमराज को हरिनारायण ने रामनारायण के मरने के बाद सारी रस्में पूरी कर प्रेमराज की मां सोनी देवी की सहमति से गोद लिया था। उनका तर्क है कि हरिनारायण के पुत्र के रूप में प्रेमराज का ही हरिनारायण की समस्त जमीन पर अधिकार है और उससे वादी या प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का कोई संबंध नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 के अनुरूप जवाबदावा प्रस्तुत किया है और प्रतिवादी संख्या 3 रामखिलाड़ी तो न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुआ। मात्र वादिनी पाना देवी ही सम्पत्ति के लालच के कारण इस मुकदमे को गलत तथ्यों के आधार पर लड़ रही है। उनका तर्क है कि प्रेमराज को गोद तो बचपन में ही ले लिया गया था लेकिन गोदनामा बाद में लिखा गया। गोदनामा के संबंध में वादी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श 20

पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि यह किसी सरकारी संस्था की रिपोर्ट नहीं है। उनका तर्क है कि पत्रावली पर इस आशय की ठोस साक्ष्य है कि हरिनारायण के हिस्से वाली जमीन पर प्रेमराज का ही कब्जा है और प्रेमराज ही हरिनारायण की अस्थिया लेकर गंगाजी गया था तथा प्रेमराज के ही पगड़ी बंधी थी, इससे भी प्रेमराज के दत्तक दिये जाने की पुष्टि होती है। उनका यह भी तर्क है कि वादी का यह दावा पूर्णतया अवधि के बाहर है क्योंकि जिस प्रदर्श 18 को वादी निरस्त करवाना चाहता है, उसकी जानकारी तो उसे पूर्व से ही थी परंतु उक्त निर्णय दिनांक 21.11.2002 को विहित समयावधि में चुनौती नहीं दी गई बल्कि अब इस दावे द्वारा चुनौती दी गई है जो दिनांक 02.08.2022 को प्रस्तुत किया गया है। अतः दावा वादी पूर्णतया अवधि के बाहर है। अंत में उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि साक्ष्य प्रतिवादी से प्रेमराज को हरिनारायण द्वारा गोद लिया जाना साबित है। अतः दावा वादी पूर्णतया खारिज किया जाए। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने निम्न लिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये जिनका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गयाः–

(1) 1976 SCR (2) 202
Kale Vs Dy. Director of Consolidation Ors.

(2) AIR 1996 SC 1864
Madhu Kishwar & Anr. Vs State of Bihar & Anr.

(3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4980/2017 नवांग व अन्य बनाम बहादुर व अन्य में पारित आदेश दि. 08.10.2025

(4) (2020) 10 S.C.R. 135
Vineeta Vs Rakesh & Ors.

(5) 2025 INSC 434
Smt. Uma Devi Vs Anand Kumar & Ors.

(6) 2025 INSC 478
R.Nagaraj Vs Rajmani & Ors.

(7) 2025 INSC 485
Nikhila Divyang Mehta Vs Hitesh P. Sanghvi & Ors.

14. विद्वान राजकीय अभिभाषक तटस्थ रहे हैं और उन्होंने बहस में सक्रिय भाग नहीं लिया है।

15. उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से दावा वादी मियाद बाहर होने का बिन्दु उठाया गया है एवं आदेश दिनांक 21.11.2002 की पूर्व से ही जानकारी होने के कारण इस आदेश के संबंध में कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से सम्पूर्ण दावा वादी मियाद बाहर होने का निवेदन किया है और इस संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं–

- 2025 INSC 434
  Smt. Uma Devi Vs Anand Kumar & Ors.
- 2025 INSC 478
  R.Nagaraj Vs Rajmani & Ors.
- 2025 INSC 485
  Nikhila Divyang Mehta Vs Hitesh P. Sanghvi & Ors.

16. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया है कि उनका दावा मूलतः गोदनामा को निरस्त किये जाने से संबंधित है इसके लिए वाद कारण उत्पन्न होने का स्पष्ट अंकन वाद पत्र में किया गया है और गोदनामा के आधार पर ही उप जिला कलेक्टर बौंली ने निर्णय दिनांक 21.11.2002 पारित किया है। इसलिए उसे भी निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया है जो पूर्णतया अंदर मियाद है।

17. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि मियाद का बिन्दु विधि व तथ्य का मिश्रित बिन्दु होता है एवं विधिक प्रश्न को कभी भी, किसी भी स्टेज पर उठाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि विवाद्यक विरचित किया ही गया हो। दावा वादी को देखने से ही यह स्पष्ट है कि वादी का मुख्य अनुतोष गोदनामा दिनांक 11.10.2000 को निरस्त करवाने और हरिनारायण का दत्तक पुत्र प्रेमराज को नहीं मानने को लेकर है। इस संबंध में वादी ने अपने वाद पत्र के मद संख्या 19 में स्पष्टतः अंकित किया है कि दत्तक पुत्र व गोदनामे का तथ्य वादिया की जानकारी में दिनांक 22.02.2022 को आया। वाद पत्र के इस मद संख्या 19 का कोई विशिष्ट प्रत्याख्यान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में अपने जवाब दावे में नहीं किया है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य भी पेश नहीं की गई है कि गोदनामा दिनांक 11.10.2000 की जानकारी वादिया को पूर्व से ही रही हो। अतः प्रेमराज को गोद लिये जाने व गोदनामा दिनांक 11.10.2000 निष्पादित किये जाने से संबंधित दावे को मियाद बाहर नहीं माना जा सकता। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को पूर्ण सम्मान देते हुए मेरी विनम्र राय में यह न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण से पूर्णतया भिन्न तथ्यों पर आधारित होने के कारण वादिया पक्ष की कोई सहायता नहीं करते हैं।

18. प्रतिवादी पक्ष की ओर से एक बिन्दु यह भी उठाया गया है कि वादिया ने अपने दावे में उप जिला कलेक्टर बौंली के निर्णय दिनांक 21.11.2002 को निरस्त करवाने का अनुतोष भी मांगा है जबकि यह प्रकरण तो पूर्णतया वादिया की मां सुन्दर की जानकारी में था और प्रकरण से संबंधित आदेशिकाओं प्रदर्श ए 5 से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 सुन्दर बेवा कल्याण जरिये अधिवक्ता श्री मुकेश जैन उपस्थित हुई थी और उसने वकालतनामा प्रदर्श ए 7 भी प्रस्तुत किया था। इसलिए इस प्रकरण से संबंधित

निर्णय दिनांक 21.11.2002 के संबंध में दिनांक 02.08.2022 को प्रस्तुत यह दावा पूर्णतया मियाद बाहर है।

19. पत्रावली पर स्वयं वादिया की ओर से ही प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि हरिनारायण की ओर से सुन्दर बेवा कल्याण के विरुद्ध अपील प्रदर्श 16 प्रस्तुत की गई थी एवं उक्त अपील की आदेशिकाओं प्रदर्श ए 5 के अनुसार सुन्दर जरिये अधिवक्ता उस अपील में उपस्थित हुई। बाद में इसी अपील में निर्णय प्रदर्श 18 दिनांक 21.11.2002 पारित किया गया। स्पष्टतः यह प्रकरण पूर्व से भलीभांति सुन्दर जो वादिया पाना की मां है, की जानकारी में था परंतु सुन्दर द्वारा इस निर्णय प्रदर्श 18 को कोई चुनौती नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय प्रदर्श 18 दिनांकित 21.11.2002 के विरुद्ध दिनांक 02.08.2022 को प्रस्तुत यह दावा पूर्णतया मियाद बाहर है।

20. जहां अनुतोषों को अलग–अलग किया जा सके और कोई एक अनुतोष मियाद बाहर पाया जाता है तो सम्पूर्ण दावा मियाद बाहर नहीं होगा बल्कि उक्त अनुतोष के संबंध में ही दावे को मियाद बाहर माना जाएगा। हस्तगत प्रकरण में गोदनामा और उप जिला कलेक्टर बौंली के निर्णय प्रदर्श 18 से संबंधित अनुतोष दोनों ही पूर्णतया सुभिन्न तथ्यों पर आधारित है और जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। दोनों ही अनुतोष अलग–अलग तथ्यों पर आधारित है और इसके लिए साक्ष्य भी अलग–अलग पेश की जाएगी। अतः इन परिस्थितियों में सम्पूर्ण दावा वादी को मियाद बाहर नहीं माना जा सकता बल्कि वादी द्वारा दावाकृत अनुतोष कि उप जिला कलेक्टर बौंली के निर्णय दिनांक 21.11.2002 को निरस्त किया जाए, को अवधि बाह्य माना जाएगा। उपरोक्तानुसार विवाद्यक संख्या 5 अवधि बाह्य होने से वादिनी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है एवं शेष विवाद्यकों के संबंध में आगे विवेचन किया जाएगा।

21. उभयपक्ष को सुनने के उपरांत शेष विवाद्यकों पर मेरा निर्णय निम्न प्रकार है–

विवाद्यक संख्या 1 व 3

(1) आया प्रतिवादी संख्या 1 स्व. हरिनारायण का दत्तक पुत्र नहीं होने के कारण वादिनी गोदनामा दिनांक 11.10.2000 को निरस्त घोषित कराने की अधिकारिणी है ?

(3) आया वादिनी तथाकथित गोदनामा दिनांक 11.10.2000 को व्यर्थ एवं शून्य होने के कारण निरस्त कराने की अधिकारिणी है ?

22. ये दोनों विवाद्यक एक दूसरे से संबंधित होने के कारण साक्ष्य की अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचने के लिए इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा

है। इन दोनों विवाद्यकों को साबित करने का भार वादिनी के ऊपर था। उभय पक्ष के मध्य इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों से यह सुस्थापित है कि अनुसूचित जनजाति में पुत्र संतान की अनुपस्थिति में समस्त जमीन की खातेदार बेटियां होंगी। इस क्रम में विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से न्यायिक दृष्टांत–

- RBJ (5) 1998 456
  Biram LRs, Prema Vs Gangaram
- (1996) AIR (SC) 1864
  Madhu Kishwar & Anr. Vs State of Bihar & Anr.
- RRD 2014 213
  Kalyan & Anr. Vs Nanga & Anr.

प्रस्तुत किए हैं और विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से न्यायिक दृष्टांत–

- AIR 1996 SC 1864
  Madhu Kishwar & Anr. Vs State of Bihar & Anr.

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4980/2017 नवांग व अन्य बनाम बहादुर व अन्य में पारित आदेश दि. 08.10.2025

प्रस्तुत किए हैं। न्यायिक दृष्टांत **AIR 1996 (SC) 1864 Madhu Kishwar & Anr. Vs State of Bihar & Anr.** दोनों ही पक्षों ने प्रस्तुत किया है। यद्यपि हस्तगत प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों में ये न्यायिक दृष्टांत कोई प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि हरिनारायण के स्वीकृत रूप से कोई संतान नहीं थी और कल्याण के स्वीकृत रूप से कोई पुत्र संतान नहीं थी। ऐसी स्थिति में कल्याण की संपत्ति के संबंध में पुत्र व पुत्रियों के मध्य बंटवारा संबंधी कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता और यदि प्रेमराज हरिनारायण का गोद पुत्र साबित हो जाता है तो हरिनारायण के कोई और पुत्री/संतान नहीं होने के कारण हरिनारायण की समस्त संपत्ति का उत्तराधिकारी स्वतः ही प्रेमराज बन जाता है।

23. उपरोक्त दोनों विवाद्यकों के संबंध में वादी पक्ष की ओर से पीडब्ल्यू 1 सुरेंद्र, पीडब्ल्यू 2 पानादेवी, पीडब्ल्यू 3 जगराम व पीडब्ल्यू 4 बंशीलाल को पेश कर परीक्षित कराया गया है। इन्होंने इस आशय की साक्ष्य पेश की है कि हरिनारायण ने अपने जीवन काल में न तो किसी को गोद लिया और न ही गोद की कोई रस्म गांव में हुई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से सम्मिलित रूप से प्रस्तुत जवाबदावे के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को उसके प्राकृतिक पिता रामनारायण के देहांत के बाद उसकी प्राकृतिक माता सोनी देवी की सहमति से हरिनारायण ने गोद लिया था। गोद लेने की अवधि के संबंध में स्वयं प्रेमराज डीडब्ल्यू 4 अपनी मुख्य परीक्षा में ही कहता है कि उसे कल्याण के जीवनकाल में गोद लिया गया था और कल्याण की मृत्यु दिनांक

10.11.1996 को हुई। जवाबदावे के मद संख्या 3 में भी कल्याण की मृत्यु वर्ष 1996 में बताई गई है। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि स्वयं प्रतिवादी पक्ष के अनुसार हरिनारायण ने प्रेमराज को दिनांक 10.11.1996 से पूर्व ही गोद ले लिया था लेकिन इस संबंध में स्वयं प्रेमराज डीडब्ल्यू 4 अपनी प्रतिपरीक्षा में प्रथम पंक्ति में ही कहता है कि उसे दिनांक 10.10.2000 को गोद लिया था। प्रेमराज की यह प्रतिपरीक्षा इस न्यायालय में दिनांक 28.01.2026 को लेखबद्ध की गई है और उस दिन उसने अपनी उम्र 50 साल की बताई है। इस आधार पर दिनांक 10.10.2000 को प्रेमराज की उम्र लगभग 24 वर्ष रही होगी और इस उम्र का व्यक्ति समस्त तथ्यों को खासकर गोद लिए जाने जैसे संस्कारों को तो भली–भांति याद रख सकता है।

24. प्रेमराज को हरिनारायण द्वारा गोद कब लिया गया, इस संबंध में गोदनामा दिनांकित 11.10.2000 में कोई अंकन नहीं है और प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी इस संबंध में पृथक्–पृथक् कथन करते हैं। प्रतिवादी साक्षी प्रेम डीडब्ल्यू 1 द्वारा मुख्य परीक्षा में ही किए गए कथनों के अनुसार प्रेमराज को 20–25 साल पूर्व गोद लिया गया था जबकि भरतलाल डीडब्ल्यू 2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि प्रेमराज को 40 साल पूर्व गोद लिया गया था। डीडब्ल्यू 2 भरतलाल तो अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहता है कि पंजीकृत गोदपत्र के आधार पर गोद लिया गया था और सभी दस्तावेजों में प्रेमराज के पिता का नाम हरिनारायण दर्ज है परंतु ये दोनों ही तथ्य स्वीकृत रूप से झूठे है। स्वयं प्रेमराम डी.डब्ल्यू 4 के अनुसार उसके राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधारकार्ड सभी में पिता का नाम रामनारायण दर्ज है न कि हरिनारायण। डीडब्ल्यू 3 रामेश्वर ने तो अपनी मुख्य परीक्षा के मद संख्या 6 में यह भी कहा है कि गोदनामा गोद के दूसरे दिन ही लिखा था जबकि यह कथन भी प्रतिवादी पक्ष के अभिवचनों एवं गोदनामा प्रदर्श 11 के तथ्यों के विपरीत है।

25. इस प्रकार जहां वादी पक्ष की ओर से इस आशय की समरूप साक्ष्य पेश की गई है कि अपने जीवन काल में हरिनारायण ने कभी किसी को गोद नहीं लिया वहीं इसके खंडन में प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अत्यंत विसंगतिपूर्ण और मिथ्या है। स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमराज ही अभिवचनों के खिलाफ बचपन में ही गोद जाना नहीं कहता, बल्कि दिनांक 10.10.2000 को स्वयं को गोद लिया जाना कहता है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से गोदनामा प्रदर्श ए 2 पेश किया है जो वादी की ओर से भी प्रदर्श 11 के रूप में पेश किया गया है। इसके संबंध में वादी की ओर से हस्तलेख विशेषज्ञ की एक रिपोर्ट प्रदर्श 20 पेश की गई है, जिसके अनुसार प्रदर्श ए 2 पर हरिनारायण के हस्ताक्षर अन्य स्वीकृत हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते। इस रिपोर्ट के संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से मात्र यह आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि यह रिपोर्ट किसी सरकारी संस्था द्वारा नहीं बनाई गई होने के कारण विश्वसनीय नहीं है परंतु हरिनारायण के अन्य स्वीकृत दस्तावेज पर उपलब्ध दस्तावेज से गोदनामा प्रदर्श ए 2 पर हरिनारायण के हस्ताक्षर का मिलान

करने से यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि दोनों हस्ताक्षर मेल नहीं खाते। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 73 के अंतर्गत न्यायालय को दस्तावेज पर हस्ताक्षरों की तुलना करने की पर्याप्त शक्ति प्राप्त है। जिन दस्तावेज पर हरिनारायण के हस्ताक्षरों को नमूने के रूप में रिपोर्ट प्रदर्श पी–20 के विशेषज्ञ द्वारा लिया गया, उन हस्ताक्षरों के संबंध में ऐसा कोई तथ्य प्रतिवादी पक्ष की ओर से नहीं उठाया गया है कि वे नमूना हस्ताक्षर हरिनारायण के नहीं हों। पत्रावली पर उपलब्ध उक्त नमूना हस्ताक्षरों का मिलान गोदनामा प्रदर्श ए 2 दिनांकित 11.10.2000 पर उपलब्ध हरिनारायण के हस्ताक्षर से करने पर मैं इस दृढ़ मत का हूं कि दोनों ही हस्ताक्षर पूर्णतया भिन्न हैं। इससे इस तथ्य को बल मिलता है कि गोदनामा दिनांकित 11.10.2000 वस्तुतः हरिनारायण द्वारा हस्ताक्षरित किया ही नहीं गया।

26. विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से गोदनामा प्रदर्श 11 के संबंध में एक तर्क यह भी उठाया गया है कि गोदनामा अपंजीकृत है, जबकि रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 17(3) के अंतर्गत इसका पंजीकृत होना आवश्यक था, परंतु मैं विद्वान अधिवक्ता वादी के इस तर्क से सहमत नहीं हूं। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17(3) निम्नानुसार है–

"पुत्र के दत्तक ग्रहण के लिए जो प्राधिकार पहली जनवरी, 1872 के पश्चात निष्पादित हुए हैं और वसीयत द्वारा प्रदत्त नहीं हैं उनका भी रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा।"

उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि पुत्र को दत्तक में लिए जाने के प्राधिकार का पंजीयन आवश्यक है न कि गोदनामे का।

27. पत्रावली पर उपलब्ध उभय पक्ष की साक्ष्य को देखते हुए मेरी विनम्र राय में यह तथ्य कि हरिनारायण की जमीन को प्रेमराज काश्त कर रहा है या गांव, समाज की सहमति से हरिनारायण के मरने पर पगड़ी प्रेमराज के बंधी थी व प्रेमराज ही हरिनारायण की अस्थियां लेकर गंगाजी गया था, हरिनारायण द्वारा प्रेमराज को दत्तक में ग्रहण किया जाना साबित नहीं करता।

28. अतः पत्रावली पर उपलब्ध वादी की समरूप सुदृढ़ साक्ष्य एवं उसके खंडन में प्रस्तुत प्रतिवादी पक्ष की विसंगतिपूर्ण साक्ष्य पर पूर्ण मनन करने व उसके उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार मेरी विनम्र राय में वादी यह साबित कर पाने में पूर्णतया सफल रहा है कि प्रतिवादी संख्या 1 प्रेमराज हरिनारायण का दत्तक पुत्र नहीं है और गोदनामा दिनांक 11.10.2000 हरिनारायण द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त विश्लेषणानुसार विवाद्यक संख्या 1 व 3 वादिनी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत किए जाते हैं।

विवाद्यक संख्या 2

आया वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वाद पत्र के मद संख्या 5 में दर्ज आराजियात के सम्बन्ध में स्वयं को मृतक कल्याण एवं हरिनारायण के एक मात्र उत्तराधिकारी घोषित कराने के अधिकारी है?

29. विवाद्यक संख्या 1 व 3 के उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि हरिनारायण के द्वारा किसी को गोद नहीं लिया गया और उसका निधन अविवाहित रहते हुए बिना किसी संतान के हो गया। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि कल्याण व हरिनारायण दोनों सगे भाई थे एवं कल्याण की पुत्रियां वादिनी पानादेवी, प्रतिवादी संख्या 2 प्रेमदेवी व प्रतिवादी संख्या 3 की मां सीता थी। इन परिस्थितियों में वादपत्र के मद संख्या 5 में दर्ज संपत्ति के उत्तराधिकारी वादिनी, प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ही शेष रहते हैं, जो मृतक कल्याण व हरिनारायण के उत्तराधिकारी घोषित होने के अधिकारी हैं। अतः यह विवाद्यक भी वादिनी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4

आया वादिनी वाद में वांछित स्थायी निषेधाज्ञा अपने पक्ष में प्राप्त करने की अधिकारिणी है ?

30. विवाद्यक संख्या 1 लगायत 3 के उपरोक्त निर्णय को देखते हुए वादिनी अपनी संपत्ति की सुरक्षा हेतु प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है कि वह वादिया के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि का वादिया द्वारा उपयोग उपभोग किए जाने में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि से कराए।

विवाद्यक संख्या 6

आया दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा– 80 सिविल प्रक्रिया संहिता का नोटिस नहीं दिये जाने के कारण दावा चलने योग्य नहीं है ?

31. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 4 व 5 पर था किन्तु दौराने बहस विद्वान राजकीय अभिभाषक ने इस विवाद्यक पर न तो कोई बहस की है न ही इसे प्रैस किया है। इसलिए यह विवाद्यक नोट प्रैस में प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 7 – अनुतोष ?

32. विवाद्यक संख्या 1 लगायत 6 के उपरोक्त निर्णय को देखते हुए दावा वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण आंशिक रूप से डिक्री किए जाने योग्य है।

आदेश

33. दावा वादिया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 3 एक पक्षीय व अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है। दावा वादिया उप जिला कलेक्टर, बौंली के आदेश दिनांक 21.11.2002 के संदर्भ में अस्वीकार किया जाता है एवं शेष तथ्यों के संबंध में दावा वादिया निम्नानुसार स्वीकार किया जाता है–

1– गोदनामा दिनांक 11.10.2000 गोदग्रहिता हरिनारायण की ओर से निष्पादित न होने के कारण व प्रतिवादी संख्या प्रेमराज हरिनारायण द्वारा दत्तक में ग्रहण न किए जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

2– यह घोषित किया जाता है कि वादपत्र के मद संख्या 5 में दर्ज संपत्ति के संबंध में कल्याण एवं हरिनारायण के उत्तराधिकारी वादिनी पानादेवी, प्रतिवादीगण प्रेमदेवी तथा रामखिलाड़ी हैं।

3- प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह वादिया पानादेवी के हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी जिसका विवरण दावा के मद संख्या 5 में है, में वादिया के उपयोग, उपभोग में किसी भी प्रकार से व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करे और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे।

4– खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।
तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जाए।

(देवेन्द्र दीक्षित)
जिला न्यायाधीश,
सवाईमाधोपुर

34. निर्णय आज दिनांक 10-04-2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(देवेन्द्र दीक्षित)
जिला न्यायाधीश
सवाईमाधोपुर